निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा।

मि0 नं0 /2012 प्रार्थना पत्र/बउनवान/सरकार बनाम खेमचन्द वगैरा

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। —प्रार्थी—

बनाम

1. खेमचन्द पुत्र कल्ला जाति चगार नि० बपावरकला तह0 सांगोद हाल मुकाम बिजोलिया जिला भीलवाडा।
2. बलराम पुत्र कल्ला जाति चंमार नि० बपावरकलां तह० सागोद हाल बिजोलिया जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमति गुन्ताबाई पुत्री कल्ला, पत्नि फूलचन्द जाति चमार नि० ग्राम बपावरकला, तहः सांगोद जिला कोटा राज, हाल मुकाम ग्राम कसार तह० लाडपुरा जिला कोटा राज।
4. श्रीमति दाखाबाई पुत्री कल्ला, पत्नि द्वारकालाल जाति चामार नि0 ग्राम बपावरकला तह० सांगोद जिला कोटा हाल मुकाम ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोदा।
5. श्रीमति मूलीबाई पुत्री कल्ला, पत्नि ओमप्रकाश जाति चमार नि० ग्राम बपावरकला, तह० सांगोद जिला कोटा हाल मुकामः ग्राम धनेसर जिला बून्दी।
6. श्रीमति देवकीबाई उर्फ भागीबाई पुत्री कल्ला, पत्नि हरिशचन्द जाति चमार निवासी ग्राम बपावरकलां तह0 सांगोद जिला कोटा राज हाल मुकाम ग्राम फतेहपुर जिला बारां।
7. श्रीमति बसन्तीबाई पुत्री कल्ला पत्नि राजूलाल जाति चमार नि० ग्राम बपावरकला तह० सांगोद जिला कोटा राज हाल मुकाम ग्राम सातलखेडी तहसील रागंजमण्डी जिला कोटा।
8. श्रीमति केसरबाई बेवा कल्ला जाति चमार नि० बपावरकलां तह० सांगोद हाल मुकाम बिजोलिया जिला भीलवाड़ा।
9. मेहमूद हुसेन पुत्र श्री जरीफ मोहम्मद जाति सिंगीवाला नि० ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::— दिनॉक :—27/3/2026

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से यह कि राज्य सरकार की ओर से पेरोकार तहसीलदार सांगोद द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि :—

- यह कि जमाबन्दी सम्बत 2062-2065 वाके ग्राम बपावरकला तहसील सांगोद के अनुसार ख0 न0 1695 रकबा 0.81 हैक्टर कल्ला पिता लोडू कौम चमार सा० बपावरकला दर्ज रिकार्ड है।

अधिकारी
... कोटा

- यह कि ग्राम बपावरकलां के खसरा नंबर 1695 रकबा 0.81 हैक्टर कल्ला पिता लोडू जाति चमार की मृत्यु होने पर राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तरण संख्या 159 दिनांक 05.05.2006 से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।
- यह कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की जाति मुताबिक राजस्व रिकार्ड चमार है जो अनुसूचित जाति वर्ग की श्रेणी में आती है।
- यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(ख) के अनुरूप अनुसूचित जाति वर्ग के खातेदार द्वारा किसी अन्य जाति वर्ग के व्यक्ति को भूमि का विकय नहीं किया जा सकता है।
- यह कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ने प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 4 के प्रावधान होने के बावजूद वाके ग्राम बपावरकलां के खसरा नंबर 1695 रकबा 0.81 हैक्टर का विकय जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा कमांक 209 दिनांक 27.02.2012 से मेहमूद हुसैन पुत्र जरीफ मोहम्मद निवासी बपावरकलां के पक्ष में किया गया है जिसकी जाति रजिस्टर्ड बैयनामा कूटरचित सिंगीवाला वर्णित की गई है जबकि इसी दस्तावेज के साथ संलग्न ग्राम पंचायत बपावरकलां पंचायत समिति सांगोद के कमांक 39 दिनांक 13.09.2010 मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र की फोटो प्रति अनुसार केता मेहमूद हुसैन पुत्र जरीफ मोहम्मद निवासी बपावरकलां की जाति "मुसलमान" है। इस प्रकार उक्त बैयनामा दिनांक 27.02.2012 से वर्णित भूमि का अनूसचित जाति वर्ग के सदस्यों द्वारा अन्य जाति वर्ग (मुसलमान) को विकय किया गया है जो कि अवैध है।
- यह कि प्रश्नगत भूमि के केता के संबंध में नायब तहसीलदार सांगोद द्वारा मजमेआम ग्राम बपावरकलां में जांच की गई जिसमें भी यह तथ्य स्पष्ट हुये कि केतागण इस्लाम धर्म के तहत ईद, नमाज इत्यादि सहित मुस्लिम धर्म मानते हैं एवं जिनकी जाति मुसलमान हैं। इसके साथ ही आराजी खसरा नंबर 1695 रकबा 0.81 हैक्टर पर केता मेहमूद हुसेन पुत्र जरीफ मोहम्मद ही काश्त काबिज कर रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत बेदखली योग्य है तथा धारा 42(ख) के विपरीत भूमि के अन्तरण किये जाने के फलस्वरूप वर्णित भूमि राजकीय सिवायचक घोषित किये जाने योग्य है।
- अतः प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 लगायत 6 प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम बपावरकलां के खसरा नंबर 1695 रकबा 0.81 हैक्टर पर वर्णित खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को समाप्त कर राजकीय घोषित करने एवं अप्रार्थी संख्या 9 को मौके से बेदखल कर कब्जाराज लिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। संलग्न मूल पत्रादि 14 किता।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। बावजूद सूचना अप्रार्थी कं. 1 लगायत 9 अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस एकतरफा पेरोकार तहसीलदार सांगोद की सुनी गई। तहसीलदार सांगोद द्वारा अपनी बहस में धारा 42(ख) एवं धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जिसकी विधिक व्यवस्था निम्न प्रकार से है :—

Sec. 42 Rajasthan Tenancy Act, 1955- General restrictions on sale, gift and bequest— The sale,gift or bequest by a Khatedar tenants of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if —

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

(b) Such sale, gift or bequest is by a member of Schedule Caste in favour of a person who is not a member of the Schedule Caste, or by a member of the Schedule Tribe in favour of a person who is not a member of the Schedule Tribe-

Sec. 175 Rajasthan Tenancy Act, 1955- Ejectment for illegal transfer or sub-letting— (1) If a tenant transfers or sub-lets, the whole or any part of his holding otherwise than in accordance with the provisions of this Act and the transferee or sub-lessee has entered upon or is in possession of such holding or such part in pursuance of such trans-thus obtained, or may thus be in possession of the whole or any fer or sub-lease, both the tenant and any person who may have part of the holding shall, on the application of the landholder, be liable to ejectment from the area so transferred or sub-let.

(2) To every application under this section, the transferee or the sub-tenant, as the case may be, shall be joined as a party.

(3) On an application being made under this section the court shall issue a notice to the opposite party to appear within such time as may be specified therein and show cause why he should not be ejected from the area so transferred or sub-let.

(4) If appearance is made within the time specified in the notice and the liability to ejectment is contested, the court shall, on payment of the proper court-fees, treat the application to be a suit and proceed with the case as a suit:

Provided that in the event of the application having been made by a Tehsildar in respect of land held directly from the State Government, no court fee shall be payable.

(5) If no such appearance is made or if appearance is made but the liability to ejectment is not contested the court shall pass such order on the application as it may deem proper.

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, जमाबन्दी, रजिस्टर्ड बैयनामा कमांक 209 दिनांक 27.02.2012, कार्यालय ग्राम पंचायत बपावरकलां द्वारा जारी चरित्र एवं निवास प्रमाण पत्र कमांक/39/13.09.2010, पटवार मण्डल बपावरकलां के मौका पर्चा दिनांक 10.03.2012, पटवारी हल्का बपावरकलां के प्रस्ताव दिनांक 05.03.2012 के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी कं. 1 लगायत 8 अनुसूचित वर्ग की जाति "चमार " के सदस्य हैं जबकि अप्रार्थी कं. 9 ओबीसी वर्ग की जाति "मुसलमान" का सदस्य हैं जिसने स्वयं को "सिंगीवाला" जाति का होना अभिकथित करते हुये बैयनामा कमांक 209 दिनांक 27.02.2012 कार्यालय उप–पंजीयक सांगोद से पंजीकृत करवाया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ख) का उल्लंघन कर कूटरचित किया गया है। चूंकि उक्त बैयनामा कमांक 209 दिनांक 27.02.2012 के द्वारा अप्रार्थी कं. 1 लगायत 8 द्वारा प्रतिफल की राशि प्राप्त करके कब्जा आराजी अप्रार्थी कं. 9 को सम्भला दिया है, लिहाजा वादग्रस्त आराजी से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके हैं व वादग्रस्त आराजी सिवायचक सरकार दर्ज होने काबिल है तथा केता अप्रार्थी कं. 9 ओबीसी वर्ग की "मुसलमान" जाति का सदस्य होने से वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी कं. 9 को किसी प्रकार के अधिकार सृजित नहीं होते हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के प्रावधानानुसार वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी कं. 9 की हैसियत मात्र एक अतिकमी की है जिसे नियमानुसार बेदखल किया जाना विधिसम्मत होगा। ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 आरटीएक्ट को स्वीकार करना

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उचित समझती हूं।

अतः राज्य सरकार की ओर से पेरोकार तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 आरटीएक्ट स्वीकार कर ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद के खसरा नंबर 1695 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि को सिवायचक सरकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थी क्रं. 1 लगायत 8 का नाम विलोपित किया जाकर सिवायचक सरकार दर्ज की जावे तथा उक्त आराजी से अप्रार्थी क्रं. 9 को बेदखल किया जाकर आराजी कब्जाराज लिया जावे। तहसीलदार सांगोद उक्तानुसार रेकार्ड व मौके पर पालना कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27.3.26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास – श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 /2012 प्रार्थना पत्र/बउनवान/सरकार बनाम खेमचन्द वगैरा

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

–प्रार्थी–

बनाम

1. खेमचन्द पुत्र कल्ला जाति चगार नि० बपावरकला तह0 सांगोद हाल मुकाम बिजोलिया जिला भीलवाडा।
2. बलराम पुत्र कल्ला जाति चंमार नि० बपावरकलां तह० सागोद हाल बिजोलिया जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमति गुन्ताबाई पुत्री कल्ला, पत्नि फूलचन्द जाति चमार नि० ग्राम बपावरकला, तहः सांगोद जिला कोटा राज, हाल मुकाम ग्राम कसार तह० लाडपुरा जिला कोटा राज।
4. श्रीमति दाखाबाई पुत्री कल्ला, पत्नि द्वारकालाल जाति चामार नि0 ग्राम बपावरकला तह० सांगोद जिला कोटा हाल मुकाम ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोदा।
5. श्रीमति मूलीबाई पुत्री कल्ला, पत्नि ओमप्रकाश जाति चमार नि० ग्राम बपावरकला, तह० सांगोद जिला कोटा हाल मुकामः ग्राम धनेसर जिला बून्दी।
6. श्रीमति देवकीबाई उर्फ भागीबाई पुत्री कल्ला, पत्नि हरिशचन्द जाति चमार निवासी ग्राम बपावरकलां तह0 सांगोद जिला कोटा राज हाल मुकाम ग्राम फतेहपुर जिला बारां।
7. श्रीमति बसन्तीबाई पुत्री कल्ला पत्नि राजूलाल जाति चमार नि० ग्राम बपावरकला तह० सांगोद जिला कोटा राज हाल मुकाम ग्राम सातलखेडी तहसील रागंजमण्डी जिला कोटा।
8. श्रीमति केसरबाई बेवा कल्ला जाति चमार नि० बपावरकलां तह० सांगोद हाल मुकाम बिजोलिया जिला भीलवाड़ा।
9. मेहमूद हुसेन पुत्र श्री जरीफ मोहम्मद जाति सिंगीवाला नि० ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख फैसला दिनांक .... यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... राज्य सरकार की ओर से पेरोकार तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 आरटीएक्ट स्वीकार कर ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद के खसरा नंबर 1695 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि को सिवायचक सरकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी के राजस्व

...ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

रिकार्ड से अप्रार्थी क्रं. 1 लगायत 8 का नाम विलोपित किया जाकर सिवायचक सरकार दर्ज की जावे तथा उक्त आराजी से अप्रार्थी क्रं. 9 को बेदखल किया जाकर आराजी कब्जाराज लिया जावे। तहसीलदार सांगोद उक्तानुसार रेकार्ड व मौके पर पालना कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। निज ——— मुबलिग ——— बाबत ——— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ——— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ——— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख २७/३/२६ को जारी की गई।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।

सांगोद, जिला कोटा